अध्याय 3

संसाधनः प्रवृत्तियां तथा संरचना

3.1 संघ सरकार के निष्पादन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षित संसाधन स्थिति की एक सम्पूर्ण समझ है क्योंकि किसी विशेष राजकोषीय वर्ष में संसाधनों की प्रमात्रा, सरकार के व्यय सीमा का निर्धारण करती है।

वर्ष 2009-10 के लिए संघ प्राप्तियों (आरम्भिक रोकड़ शेषों के कुल निवल संसाधन) के घटकों तथा उप-घटकों को **बाक्स 3.1** में वर्गीकृत -किया गया है।

बाक्स 3.1: कुल संसाधनों के घटक एवं उप-घटक

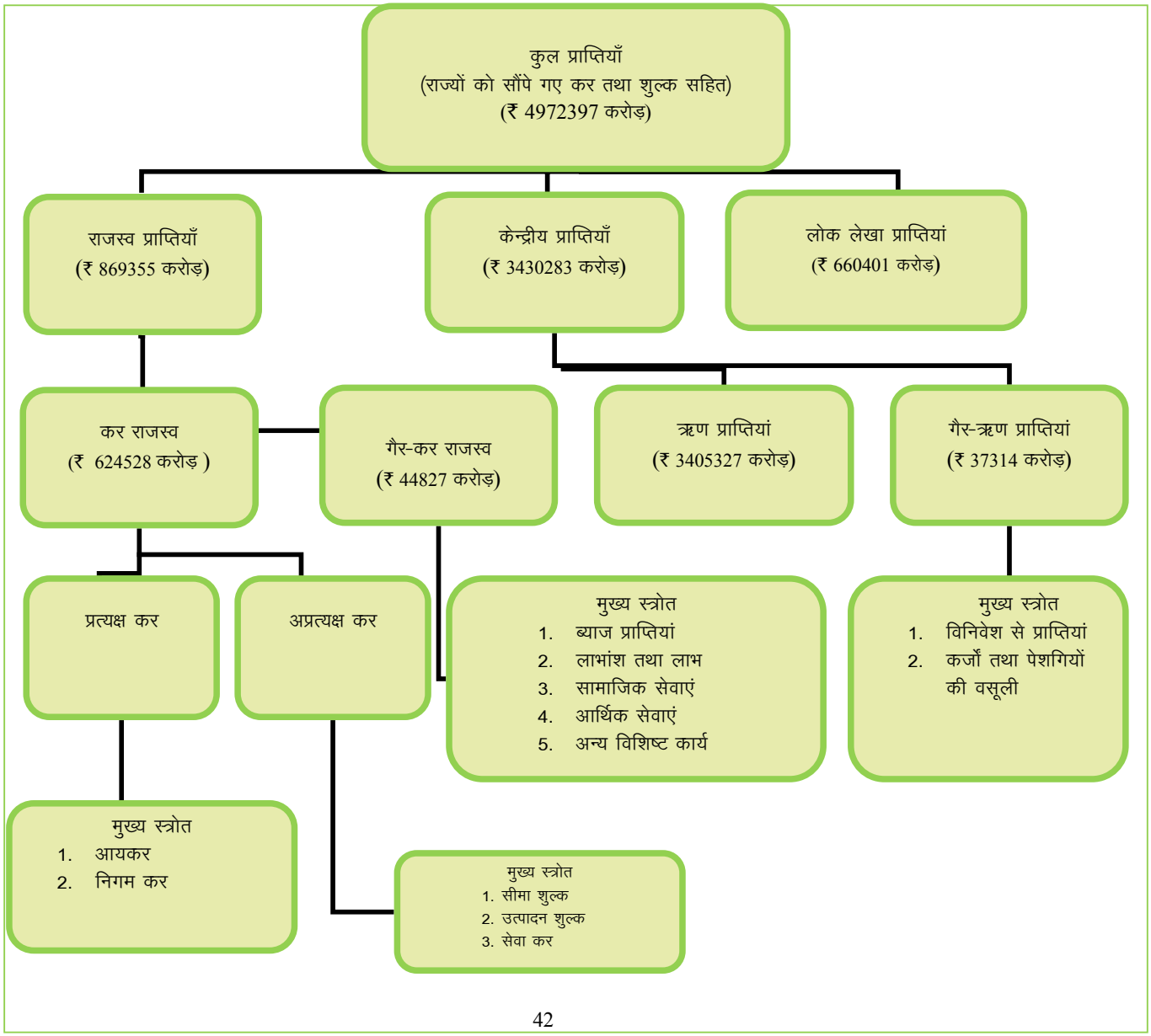

तालिका 3.1: कुल प्राप्तियों के घटक: सापेक्ष अंश तथा प्रवृत्तियाँ

(₹करोड़ में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां#	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां*	बाजार मूल्य पर स.घ.उ. *
		सकल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल प्रोदभवन		
Xवीं योजना (2002-07) औसत	477466	45989	917229	393933	1834616	3317483
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	26	3	50	21	100	
2007-08	801226	49187	1868102	460981	3179496	4947857
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	25	2	59	15	100	
2008-09	814026	14075	2395765	584478	3808344	5574449
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	21	नगण्य	63	15	100	
2009-10	869355	37314	3405327	660401	4972397	6231171
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	18	1	68	13	100	
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (*प्रतिशत*)						
Xवीं योजना (2002-07) औसत	15.62	(-) 29.02	42.05	9.33	24.97	14.18
2007-08	24.08	155.85	13.59	1.31	15.01	15.50
2008-09	1.60	(-)71.38	28.25	26.79	19.78	12.66
2009-10	6.80	165.11	42.14	12.99	30.57	11.78

 # राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं (2009-10 हेतु ₹1,64,832 करोड़)।

*केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ब्यूरो मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2010 ने दर्शाया है कि वर्तमान मूल्यों/बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संशोधित अनुमानित आंकड़े ₹62,31,171 करोड़ हैं। आंकडों का के.सां.सं. द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है तथा यह डाटा वृहत अर्थव्यवस्था निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की एक निर्देशक तुलना हेतु है।

टिप्पणीः सापेक्ष अंशों को दर्शाते आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है, जहां उप-घटक का अंश गैर-कर राजस्व से 0.5% से कम है।

ऋण प्राप्तियॉ कुल प्राप्तियों का अकेला सबसे बड़ा घटक बनाती है। Xवीं योजना के दौरान कुल प्राप्तियों के लगभग 50 प्रतिशत की औसत की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में अंश कुल प्राप्तियों के औसतन 64 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा। वर्तमान वर्ष के दौरान, ऋण प्राप्तियों का अंश कुल प्राप्तियों का 68 प्रतिशत था। यह ऋण प्राप्तियों में पिछले वर्ष से 42 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था। चूंकि भारत जैसी उद्गामी अर्थव्यवस्था में एक संतुलित बजट को अभिकल्पित नहीं किया जा सकता इसलिए भारी ऋण क्षमता को अपने व्यय की योजना करने हेतु भविष्य की भावी सरकारों की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जबकि मूल ब्याज भुगतान वचनबद्ध देयता हैं। जितने अधिक वचनबद्ध भुगतान होंगे, भावी सरकारों के पास संचालनात्मक व्यय हेतु उतनी ही कम गुंजाइश होती है।

ऋण प्राप्तियों के अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों में लोक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश जैसी **गैर-ऋण प्राप्तियाँ** तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूली शामिल हैं जो कि कुल

प्राप्तियों में एक नगण्य अंश बनाते हैं। इन्होंने विभिन्न वर्षों में वृद्धि में महत्वपूर्ण असंगतियों को भी दर्शाया तथा इसलिए, यह प्राप्तियों का पुर्वानुमेय स्रोत नहीं हैं। वर्तमान वर्ष में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों ने पिछले वर्ष से महत्वपूर्ण वृद्धि (165 प्रतिशत) प्रदर्शित की। इसके लिए एक कारण यह है कि पिछले वर्ष में, पूंजीगत प्राप्तियों में नकारात्मक वृद्धि थी तथा इसलिए आधार, जिस पर वृद्धि परिकलित की जाती है, कम है। अन्य कारण है कि इस वर्ष केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों[1] में सरकारी अंशों का अल्पसंख्या इक्विटि का महत्वपूर्ण विनिवेश था तथा इस लेखे के अंतर्गत ₹23,599 करोड़ (₹21,366 करोड़ के प्रीमियम सहित) का सग्रंहण किया था। इससे अधिक ब्यौरे **पैरा 3.6** में उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियों का अंश Xवीं योजना में कुल प्राप्तियों के औसतन 26 प्रतिशत से XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में 21 प्रतिशत तक गिरा है। वर्तमान वर्ष में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उल्लेखनीय गिरावट हुई। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि ने पिछले वर्ष में 2 प्रतिशत से कम से वर्तमान वर्ष में लगभग 7 प्रतिशत तक के सुधार ने दर्शाया कि मंदी निम्नतम थी। राजस्व प्राप्तियों का और विश्लेषण **पैरा 3.3** में उपलब्ध कराया गया है।

लोक लेखा उन प्राप्तियों को संदर्भित है जिनके लिए सरकार लोगों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करती है (**अध्याय-1; बॉक्स 1.1**)। प्राप्तियों के इस घटक का अंश XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में यह Xवीं योजना अवधि के दौरान से कम था। लोक लेखों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि ने बड़ी असंगतियां दर्शाई तथा इसलिए सरकार द्वारा इस संसाधन को नियंत्रित नहीं किया जा सका। 2009-10 में, पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि थी। अधिकतम वृद्धि राष्ट्रीय लघु बचत निधि (42 प्रतिशत), राज्य भविष्य निधि (38 प्रतिशत), जमा एवं अग्रि म(44 प्रतिशत) तथा धन-प्रेषणों (197प्रतिशत) में देखी गई थी। विशेष जमा एवं लेखों में प्राथमिक रूप से पिछले वर्ष की तुलना में पैट्रोलियम बंधपत्रों ((-)86प्रतिशत) को कम जारी करने तथा उवर्रक कम्पनियों को कोई विशेष बंधपत्र जारी न करने के कारण यथेष्ट नकारात्मक वृद्धि ((-) 87 प्रतिशत) थी।

3.2 स.घ.उ. में निवल प्राप्तियों का अंशः

प्राप्तियां तथा संवितरण विशेष रूप से जो लोक ऋण तथा लोक लेखा से संबंधित है, वे वित्त लेखों में सकल आधार पर प्रदर्शित होते हैं। अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.) तथा 14 दिवसीय खज़ाना बिलों का लघु अवधि उपायों द्वारा समायोजन करते हैं तथा अस्थायी बेमेलता को ओट प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, लोक लेखे में प्रोत्भवन को भी सकल आधार पर सूचित किया गया है तथा इसका एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार के अ.अ. तथा 14

[1] विवरण के लिए तालिका 3.10 का संदर्भ लें।

दिवसीय खज़ाना बिलों के प्रचालनों के प्रभाव को, इसके संसाधनों से इनकी प्रभावी प्राप्तियों पर पहुंचने के लिए निवल करना अधिक वास्तविक होगा।

तालिका 3.2: संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका अंश

(₹करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां**	अ.अ. की निवल प्राप्तियां	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा प्रोत्भवन	कुल निवल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (*प्रतिशत*)
2002-03	355948	41896	206830	(-) 5176	3134	37011	639643	25.34
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	(-) 22650	767718	27.10
2004-05	455466	68664	326960	0	7354	27119	885563	27.34
2005-06	525325	13382	369247	0	24733	3514	936201	25.26
2006-07	645723	19225	408517	0	136	48639	1122240	26.20
2007-08	801226	49187	633418	0	29154	35721	1548706	31.30
2008-09	814026	14075	671488	0	30033	68862	1598484	28.68
2009-10	869355	37314	882979	0	-2995	28268	1814921	29.13

** राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं।*

*** अर्थोपाय अग्रिमों तथा खजाना बिलों की प्राप्तियों का निवल*

तालिका 3.2 पिछले आठ वर्षों के लिए कुल प्राप्तियों तथा स.घ.उ. की तुलना में कुल प्राप्तियों के अनुपात पर ऐसी निरावेशन के प्रभाव को सूचित करती है। 2009-10 हेतु संघ सरकार की निवल प्राप्तियों में ₹49,72,397 करोड़ से ₹18,14,921 करोड़ (64 *प्रतिशत* की कमी) से ₹31,45,418 करोड़ तक गिरावट आई। इसी प्रकार, जबकि **तालिका 3.1** दर्शाती थी कि स.घ.उ. अनुपात के प्रति सकल प्राप्तियाँ लगभग 80 *प्रतिशत* तक अधिक थी होने को जबकि **तालिका 3.2** दर्शाती है कि निवल करने के उपरान्त स.घ.उ. के प्रति संसाधन अनुपात केवल 29 *प्रतिशत* है।

3.3 राजस्व प्राप्तियां : मुख्य समुच्चयों की प्रवृत्ति

वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार सकल कर प्राप्तियों के भाग को राज्य सरकार के साथ बांटा गया है। संघ सरकार की कर प्राप्तियों में, (उनके सकल कर संग्रहण से राज्यों के अंश का निवल) Xवीं योजना के दौरान लगभग 22 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई जबकि गैर-कर राजस्व में समनरूप अवधि के दौरान लगभग पांच *प्रतिशत* की निम्न दर से वृद्धि हुई। इस दर की तुलना में, 2009-10 में निवल कर प्राप्तियां लगभग 3 *प्रतिशत* तक बढ़ी जबकि गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत थी। यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष 2008-09 को आम आर्थिक मंदी के कारण कर तथा गैर-कर प्राप्तियों दोनों में बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई थी।

तालिका 3.3: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व*	संघ के निवल राजस्व
Xवीं योजना (2002-07) औसत	323047	83040	240007	154419	394426
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)			*61*	*39*	*100*
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	593147	151800	441347	208079	649426
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)			*68*	*32*	*100*
2008-09	605298	160179	445119	208728	653847
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)			*68*	*32*	*100*
2009-10	624528	164832	459696	244827	704523
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)			*65*	*35*	*100*
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (*प्रतिशत*)					
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	20.76	21.50	4.86	14.59
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	25.27	26.15	24.96	20.83	23.61
2008-09	2.05	5.52	0.85	0.31	0.68
2009-10	3.18	2.90	3.27	17.29	7.75
*टिप्पणीः *गैर-कर राजस्व में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के साथ-साथ रेलवे, डाक, तथा विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियां भी शामिल हैं।*					

Xवीं योजना 2002-2007 के दौरान गैर-कर राजस्व संघ सरकार के निवल राजस्व के औसत का 39 *प्रतिशत* बनता है **(तालिका 3.3)**। संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व अंश में अवमन्दन हुआ है। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसत अंश गिरकर लगभग 33 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, वर्तमान वर्ष में इस वर्ग के अंतर्गत यथेष्ट वृद्धि (17 प्रतिशत) थी। गैर-कर राज्य के उप-घटकों का एक विस्तृत विश्लेषण इस अध्याय के पैरा 3.5 में दिया गया है।

3.4 मुख्य करः सापेक्ष निष्पादन

वर्तमान वर्ष में निगम कर तथा आयकर की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में यथेष्ठ रूप से ऊपर उठी जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियों ने नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।

तालिका 3.4: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(₹करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य**
Xवीं योजना (2002-07) औसत	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	593147	192911	102659	104119	123611	51302	18545
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395
2009-10	624528	244725	122417	83324	102991	58422	12649
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (*प्रतिशत*)							
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	33.67	36.71	20.61	5.10	36.45	47.62
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-)4.07	(-)12.13	18.79	(-)11.59
2009-10	3.18	14.68	15.41	(-)16.58	(-)5.18	(-)4.13	(-)22.85

**सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था। #राज्यों/सं.शा.क्षे. को सौंपे गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।*

***अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, फ्रिंज लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग नकद लेन-देन कर आदि शामिल है।*

टिप्पणी: सापेक्ष अंश को दर्शाते आंकड़ों का पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसीलिए कुल योग को हमेशा 100 मे न जोड़ा जाए। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है, जहां उप-घटक का अंश सकल कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत की अपेक्षा कम है।

सेवा कर संग्रहण में ₹2,519 करोड़ की कमी हेतु मुख्य कारण वर्ष 2009-10 में करों के दर में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कटौती था। दरों में कटौती के अतिरिक्त संग्रहण में कटौती हेतु उत्तरदायी अन्य घटक मार्ग में माल परिवहन अभिकर्ताओं को प्रदत्त पैकिंग/कार्गो हैंडलिंग/वेयरहाउसिंग पर निविदा परिवहन परमिटों वाले सवारी वाहनों के माध्यम से परिवहन पर माल परिवहन अभिकर्ताओं से प्राप्त सेवाओं पर आयातकों को सेवा कर के भुगतान से अनुमत छूट आदि था।

चार्ट 3.1: कर राजस्व के घटक-सापेक्ष अंश

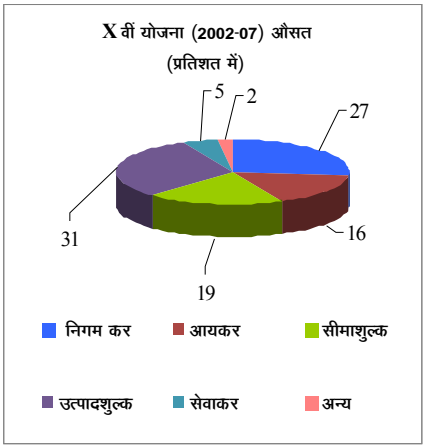

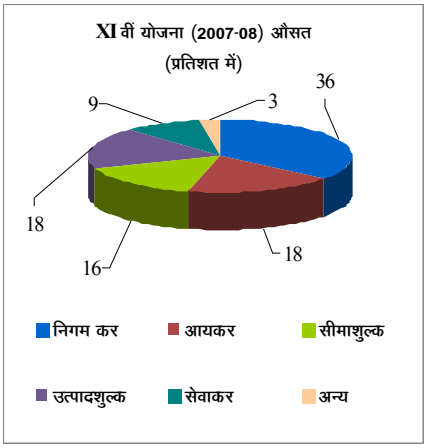

जैसा कि **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है कि कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष करों (निगम कर तथा आयकर) का अंश Xवीं योजना में समनुरूप अंश की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में बढ़ रहा है। सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों के अंश Xवीं योजना की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में गिर रहे हैं। तथापि, सेवा कर का अंश, दरों में वृद्धि के साथ-साथ कर आधार में वृद्धि के कारण सेवा कर के अधिक संग्रहण के कारण Xवीं योजना अवधि की तुलना में हाल के वर्षों में काफी अधिक रहा है। वर्तमान में 116 सेवाएं सेवा-कर के अधीन हैं। वर्तमान वर्ष में, 5 नई सेवाओं को सेवा कर क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था तथा इन पाँच सेवा प्रदात्ताओं से ₹142 करोड़ वसूले गये थे। सेवा कर संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में ₹2,519 करोड़ तक की गिरावट थी। मदें, जिसने वर्तमान वर्ष में सेवा कर में राजस्व संग्रहण में मुख्य गिरावट दर्शाई, **बाक्स 3.2** में दी गई हैं।

बाक्स 3.2 निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2008-09 की तुलना में 2009-10 में सेवा कर में हुई नकारात्मक वृद्धि

	राजस्व की कटौती (₹करोड़ में)
❖ टेलीफोनिक बिलिंग पर कर	1506
❖ सामान्य बीमा प्रीमीयम पर कर	154
❖ प्रचार सेवाएं	171
❖ सलाहकार इंजीनियर सेवाएं	182
❖ संपत्ति ऐजेंट/परामर्शी सेवाएं	108
❖ प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	203
❖ व्यापार सहायक सेवाएं	501
❖ अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाएं	60
❖ सड़क द्वारा माल परिवहन	582
वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक भवन तथा लोक अवसंरचना के संबंध में निमार्ण सेवाएं	228
बारह घरों से अधिक वाले आवासीय परिसर का निर्माण	107
❖ क्रेडिट/डेबिट कार्ड, चैंज कार्ड संबंधी सेवाएं	284
❖ दूरसंचार के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं	239
❖ अन्य व्यापार अथवा वाणिज्य में उपयोग हेतु अचल सम्पत्ति का किराया पर देने में प्रदत्त सेवाएं	563
❖ शिक्षा उप-कर	171

3.4.1 कर उत्प्लावकता: यह किसी देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के संबंध में कर राजस्व में वृद्धि के निर्मित लचीलेपन की चर्चा करता है। कर उत्प्लावकता न केवल कर नीति तथा प्रशासन पर निर्भर करती है बल्कि अर्थव्यवस्था के सामान्य निष्पादन पर भी निर्भर करती है। यह मानते हुए कि स.घ.उ. अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, उत्प्लावकता गुणांक स.घ.उ. (कर आधार) में एक *प्रतिशत* वृद्धि की तुलना में विभिन्न करों की *प्रतिशतता* वृद्धि की दर को दर्शाता है।

तालिका 3.5: मुख्य करों की उत्प्लावकता

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
Xवीं योजना (2002-07) औसत	1.502	2.227	1.327	1.224	0.677	5.162
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	1.630	2.173	2.369	1.330	0.329	2.352
2008-09	0.162	0.838	0.263	(-)0.322	(-)0.958	1.484
2009-10	0.270	1.246	1.308	(-)1.407	(-)0.439	(-)0.351

कर उत्प्लावकता विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में, जिस पर सरकार का कर संचयन महत्वपूर्णरूप से निर्भर है, पुनरूत्थान के कारण एक से अधिक (1.502) थी। उच्च कर उत्प्लावकता के पीछे अन्य महत्वपूर्ण घटक, कर जाल में सेवा कर की दर में वृद्धि के साथ-साथ इसके आधार को व्यापक करके नई सेवाओं को शामिल करना था। वर्ष 2007-08 में सकल कर राजस्व के सभी घटकों (उत्पाद शुल्क के अपवाद सहित) में एक से अधिक की उत्प्लावकता थी। वास्तव में स.घ.उ. में प्रत्येक एक *प्रतिशत* की वृद्धि हेतु निगम कर, आयकर तथा सेवा कर में 2 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि थी। तथापि, पिछले दो वर्षों में जब ओद्यौगिक मंदी थी, तब वहां अप्रत्यक्ष करों की महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि थी परन्तु वर्तमान वर्ष को भी सेवा कर में नकारात्मक वृद्धि के साथ चिन्हित किया गया था।

दर में वृद्धि तथा सेनवेट दर की ओर बढ़ना, चिन्हित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की कमी तथा अन्य को छूट प्रदान करने की अपेक्षा, कर आधार का विस्तार करने की नीति, मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संचयनों की गति में धीमेपन हेतु उत्तरदायी है। उत्प्लावक स.घ.उ. वृद्धि के बावजूद संघ की कुल कर प्राप्तियों में सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क का गिरता हुआ अंश व्यापार उदारीकरण से संयोजित टैरिफ कटौती के परिणामस्वरूप राजस्व सृजन करने के उपाय के रूप में उनकी विलयित भूमिका को दर्शाती है।

3.5 गैर-कर राजस्व

सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक; इसके प्रधान क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्का ढलाई आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जहां प्रधान क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेश से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उन्हें सेवा प्रदान करने की प्रचालन लागत से निवलीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल

होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई (सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रा भण्डार में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है) से अधिक सम्बन्धित है।

3.5.1 गैर-कर राजस्व (गै.क.रा.) के विभिन्न उप-संघटकों के सापेक्ष अंश में विचलनः

कुल गैर-कर प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियों में, Xवीं योजना के 24 *प्रतिशत* के औसत से 2007-08 में 17 *प्रतिशत* तथा 2008-09 तथा 2009-10 में प्रत्येक 15 *प्रतिशत* के निम्न पर महत्वपूर्णरूप से कमी आई। हाल के वर्षों में अंश में गिरावट ऋण स्वैप योजना के लागू करने के कारण थी, जिसका परिणाम 2005-06 से 2009-10 की अवधि हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकीकरण योजना तथा राहत सुविधा योजना के अंतर्गत निम्न ब्याज दरों सहित बकाया ऋणों के संग्रह में कमी तथा ब्याज की निम्न दरों पर बकाया ऋणों के समेकन तथा पुनःसूचीबद्ध करने में हुआ।

2007-08 तथा 2008-09 में लाभों तथा लाभांशों के अंश में उर्द्धगामी प्रवृति थी। अंश 2009-10 में लगभग 21 प्रतिशत तक पहुँचा। यह संघटक मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लाभांश, रेलवे के अंशदान, भा.रि.बैं., भा.जी.बी.नि. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिशेष लाभों के अंश तथा अन्य निवेशों से लाभांशों से बना है।

तालिका 3.6: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व #	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	प्रधान तथा अन्य कार्य **
Xवीं योजना (2002-07) औसत	154419	37023	24018	687	77953	14738
सापेक्ष अंश *(प्रतिशत)*	100	24	16	नगण्य	50	10
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	208079	34612	34500	742	120998	17227
सापेक्ष अंश *(प्रतिशत)*	100	17	17	नगण्य	58	8
2008-09	**208728**	**30846**	**38608**	**540**	**118146**	**20588**
सापेक्ष अंश *(प्रतिशत)*	100	15	19	नगण्य	57	10
2009-10	**244827**	**35849**	**50250**	**713**	**133038**	**24977**
सापेक्ष अंश *(प्रतिशत)*	100	15	21	नगण्य	54	10
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
Xवीं योजना (2002-07)	4.86	(-) 13.56	8.65	16.07	13.07	5.59
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	20.83	30.35	17.71	58.89	20.44	11.75
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
2009-10	17.29	16.22	30.15	32.04	12.60	21.32

टिप्पणीः सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उस आंकड़ों संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व से 0.5 प्रतिशत से कम है।

 # अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान शामिल है।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

*** राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)*

लाभांशों तथा लाभों से गैर-कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), हाल के वर्षों में तीव्रता से बढ़ता घटक था। Xवीं योजना की लगभग 9 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, लाभांश तथा लाभ वर्तमान वर्ष में 30 प्रतिशत से अधिक की अधिकतम वृद्धि के साथ लगभग 20 प्रतिशत की औसत पर बढ़ रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था सुधरती है तो इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ देश के गैर-कर राजस्वों को महत्वपूर्णरूप से योगदान दे सकेगी।

आर्थिक सेवाओं (मुख्यतः ऊर्जा, पैट्रोलियम, फसल उपज तथा पशुपालन) के अंतर्गत प्राप्तियों का गैर-कर राजस्व बास्केट में 50 प्रतिशत से अधिक का बड़ा अंश है। उपभोक्ता प्रभारों का योक्तितीकरण तथा बेहतर सेवा प्रावधान मध्यम अवधि में इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहणों को बढ़ा सकते थे।

तालिका 3.7: पेट्रोलियम प्राप्तियों में वृद्धि

(₹करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोलियम पर लाभ	पेट्रोलियम छूट शुल्क तथा रायल्टी	पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लाइसेंस शुल्क तथा खनन पट्टेदारी किराया	वाणिज्यिक उपलब्धि बोनस	अन्य प्राप्तियां	योग
2004-05	2690	2572	20	37	0	0	5319
2005-06	3278	2422	19	63	0	0	5782
2006-07	4342	3332	23	102	0	520	8319
2007-08	4199	3498	22	72	2	52	7845
2008-09	5036	3289	16	43	0	109	8493
2009-10	5926	4266	28	72	0	39	10331

2004-05 के बाद से, गैर-कर राजस्व बास्केट के लगभग 4 से 5 *प्रतिशत* की पेट्रोलियम प्राप्तियाँ परिकलित की गई। पेट्रोलियम पर लाभ जिसे 2004-05 में 50 *प्रतिशत* अंश परिकलित किया गया, 2009-10 में पेट्रोलियम प्राप्तियों का मुख्य अंशदाता

(लगभग 57 *प्रतिशत*) रहा है जैसा कि **तालिका 3.7** में पाया गया। पेट्रोलियम प्राप्तियों अर्थात पेट्रोलियम छूट शुल्कों तथा रॉयल्टियों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण उप-संघटक का सापेक्ष अंश 2004-05 में लगभग 48 *प्रतिशत* से 2009-10 में 41 *प्रतिशत* तक गिरा।

तालिका 3.8 टेलिकॉम प्राप्तियों में वृद्धि

(₹करोड़ में)

वर्ष	मानीटरिंग संगठन की प्राप्तियाँ	वायरलेस योजना तथा समन्वय संगठन से प्राप्तियां	टेलिकॉम लाइसेंस शुल्क	सार्वभौमिक पहुँच उगाही	अन्य प्राप्तियाँ	वापसियाँ	कुल योग
2004-05	0	1040	6038	778	120	0	7976
2005-06	13	1372	3433	3215	2032	0	10065
2006-07	0	2090	3097	3941	3336	0	12464
2007-08	0	3056	3449	5406	14818	0	26729
2008-09	0	3455	3996	5515	156	(-)124	12998
2009-10	0	3810	4001	5778	2291	0	15880

गैर-कर राजस्व का एक और महत्वपूर्ण संघटक टेलीकॉम प्राप्तियाँ हैं, जिन्हें 2004-05 में गै.क.रा. का लगभग 5 *प्रतिशत* परिकलित किया गया था तथा 2007-08 में बास्केट के लगभग 13 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। कुल गै.क.रा. की तुलना में टेलीकॉम प्राप्तियों का अंश 2009-10 में महत्वपूर्णरूप से 6 *प्रतिशत* से अधिक तक गिरा। **तालिका 3.8** दर्शाती है कि दूरसंचार लाइसेंस शुल्क जिसका 2004-05 में टेलीकॉम प्राप्तियों में काफी अधिक सापेक्ष अंश (76 *प्रतिशत*) था, का 2009-10 में महत्वपूर्णरूप से निम्न अंश (लगभग 25 *प्रतिशत*) था। तुलना में, वायरलेस योजना एवं समन्वय संगठन से प्राप्तियों के अंश में 2004-05 में 13 *प्रतिशत* से 2009-10 में 24 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा सार्वभौमिक पहुँच उगाही के अंश में 2004-05 में लगभग 10 *प्रतिशत* से वर्तमान वर्ष में लगभग 36 *प्रतिशत* तक की वृद्धि हुई।

3.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश) तथा कर्जे एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। **तालिका 3.9** विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती हैं। यह तालिका बजट अनुमानों तथा विनिवेश से प्राप्तियों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ संघ सरकार के कर्जे एवं पेशगियों की वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है।

तालिका 3.9: अंतिम दशक में विनिवेश से प्राप्तियाँ तथा कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	प्राप्ति *प्रतिशत*	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	प्राप्ति *प्रतिशत*
	(₹करोड़ में)			*(₹करोड़ में)*		
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24
2004-05	4000	4363	109.10	29625	64240	216.84
2005-06	0.0	1570	--	13525	11801	87.25
2006-07	3840	534*	0.00	9530	18691	196.13
2007-08	1651	4387	265.72	3030	10391	342.94
2008-09	1165	22	1.89	5993	13509	225.41
2009-10	1120	23599+	2107	5720	12733	222.61

** मुख्य रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस द्वारा बोनस अंश जारी करने के कारण*

+ कृपया विवरण के लिए तालिका 3.10 का संदर्भ लें

3.6.1 अंतिम दशक में विनिवेश प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ: जनवरी 2005 के आगे से, सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) स्थापित की। केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को रा.नि.नि. में सारणीकृत किया गया है जिसका अनुरक्षण भारत की समेकित निधि से बाहर किया गया है। विविध पूँजीगत प्राप्तियों (वि.पूं.प्रा.) में प्रवृत्तियां, अर्थात 2005-06 से 2009-10 तक अंतिम पांच वर्षों के दौरान विनिवेश की प्राप्तियां वृहद अस्थिरता का संकेत करती हैं। जबकि, 2005-06 के दौरान ₹1,570 करोड़ (वर्ष हेतु 'शून्य' बजट अनुमानों के प्रति) सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में, सरकारी इक्विटी के विनिवेश के कारण वि.पूं.प्रा. के रूप में दर्ज किये गये थे फिर भी 2006-07 के दौरान (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी नियंत्रणों के आंशिक विनिवेश के कारण ₹3,840 करोड़ के बजट अनुमानों के प्रति) वर्ष के दौरान सरकारी इक्विटी के विनिवेश के कारण कोई प्राप्ति नहीं थी। तथापि, ₹534 करोड़ की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंशों को जारी करने के कारण थी। 2007-08 के दौरान, वित्त लेखे में विनिवेश से ₹4,387 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियाँ वर्ष के लिए बजट अनुमानों (₹1,651 करोड़) करीबन तीन गुना थीं। वर्तमान वर्ष के दौरान, ₹1120 करोड़ बजट अनुमान के प्रति केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों (जैसा कि नीचे तालिका 3.10 में दर्शाया गया है) में विनिवेश से वास्तव में ₹23,599 करोड़ (₹21366 करोड़ के प्रीमियम सहित) वसूला गया।

तालिका 3.10 2009-10 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (के.सा.क्षे.उ.) में अल्पसंख्यक अंशधारिता की बिक्री से प्राप्त विनिवेश राशि

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	के.सा.क्षे.उ. का नाम	कुल प्राप्त मूल्य
1.	**नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.एच.पी.सी.एल.):** सरकार ने 8 फरवरी 2007 को कम्पनी की सरकार की शेयरधारिता में से 5% शेयरों के विनिवेश के साथ एन.एच.पी.सी. लिमिटेड की प्री-इश्यू पेड-अप पूंजी के 10% पूंजी को नए इश्यू के माध्यम से जारी करना संस्वीकृत किया था। आई.पी.ओ. अगस्त 2009 में पूर्ण हुआ तथा सरकार ने ₹2012.85 करोड़ की राशि प्राप्त की।	2012.84
2.	**नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.):** सरकार ने सरकारी शेयर होल्डिंग में से एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के **प्री-इश्यू पेड-अप** कैपिटल के 8.38% शेयर मार्च 2010 में फालो आन पब्लिक आफरिंग के माध्यम से जारी किए तथा ₹9930.42 करोड़ प्राप्त किए।	9930.42
3.	**नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.):** सरकार ने एन.टी.पी.सी. में अपनी शेयर होल्डिंग में से **प्री-इश्यू पेड-अप** कैपिटल के 5% पूंजी का विनिवेश फरवरी 2010 में फॉलोआन पब्लिक आफरिंग के माध्यम से किया तथा ₹8480.10 करोड़ प्राप्त किए।	8480.1
4.	**आयल, इण्डिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.):** सरकार ने 30 अगस्त 2007 को सरकारी शेयर होल्डिंग में से कम्पनी के 10% अक्विटी के साथ-साथ आयल इण्डिया लिमिटेड के पोस्ट इश्यू कैपिटल के 11% इक्विटी के नवीन इश्यू को विनिवेश करना संस्वीकृत दिया था तथा सरकार को इसके साथ-साथ बाजार आधारित मूल्य पर 2:1:1 के अनुपात में आई.ओ.सी., एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल. के पक्ष में 10% का क्रमशः **विनिवेश** करना था आई.पी.ओ. सितम्बर 2009 में पूरा हो गया था तथा सरकार ने ₹2,247.05 करोड़ प्राप्त किया।	2247.05
5.	**रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.):** मार्च 2010 में फॉलोअप पब्लिक आफरिंग के माध्यम से 15% नई इक्विटी जारी करते हुए सरकार ने आई.ई.सी. के 5% प्री इश्यू पेड अप कैपिटल के बराबर अपनी हिस्सेदारी जारी की तथा ₹882.51 करोड़ प्राप्त किए।	882.51
6.	**कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड**	40.00
7.	**हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड**	5.68
	कुल	**23598.60**

27 जनवरी 2005 को सरकार ने लाभप्रद के.सा.क्षे.उ. में सरकार की अल्पसंख्यक अंशधारिता के क्रय से वसूली को सारणीगत बनाने हेतु भारत की संचित निधि से बाहर एक ''राष्ट्रीय निवेश निधि'' (रा.नि.नि.) को स्थापित करने का निर्णय लिया था। निधि से आय का सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं में निवेश तथा चयनित लाभप्रद एवं पुनरूद्धरणीय लोक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजीगत निवेश हेतु उपयोग किया जाएगा।

2008-09 के सर्वभौम मंदी द्वारा उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति की दृष्टि में नवम्बर 2009 में सरकार ने के.सा.क्षे.उ. के विनिवेश से प्राप्तियों के उपयोग हेतु तीन वर्षों की अवधि- अप्रैल 2009 से मार्च 2012 के लिए एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया अर्थात इस अवधि के दौरान विनिवेश प्राप्तियों योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट सामाजिक क्षेत्र योजनाओं में निवेश करने के लिए पूर्णरूप से उपलबध हो सकेगी। यथापूर्ण स्थिति को अप्रैल 2012 से पुनः स्थापन किया जाएगा। तथापि, रा.नि.नि. को विद्यमान कार्पस बिना छूए रहेगा तथा निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधन करना जारी रहेगा। विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग सरकार की सामाजिक क्षेत्र योजनाओं नामतः

i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ii) इंदिरा आवास योजना
iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
iv) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकण मिशन
v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
vi) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत व्यय को वितपोषित करने हेतु किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान एकत्रित विनिवेश प्राप्तियों को लघु शीर्ष '8452-102-1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि हेतु भारत सरकार की विनिवेश प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत रा.नि.नि. का अंतरित किया जाना था। संघ के वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित लघु शीर्ष नहीं खोला गया था तथा 23,552.97 करोड़ के रा.नि.नि. को/से अंतरण को विद्यमान लघु शीर्ष '8452-101-प्रीमियम सहित सरकारी इक्विटी धारिता के विनिवेश की प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

3.6.2 ऋण वसूली में प्रवृत्तियाँ: 2003-04 तथा 2004-05 के ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत नरम-ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत कर्जों के पूर्व-भुगतान के साथ, कर्जों की वसूली के अन्तर्गत प्राप्तियों ने 2005-06 के दौरान एक अनुमानित गिरावट दर्शाई। पिछले वर्ष से ऋणों की वसूली में न केवल अर्थपूर्ण कमी आई बल्कि 2005-06 के दौरान ₹13,525 करोड़ के अपर्याप्त बजट लक्ष्य से कम रही। तथ्य दिये गये कि संघ सरकार की राज्य सरकार के लिए वित्तीय मध्यस्थता के रूप में भूमिका को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया गया तथा संघ सरकार से राज्यों के बकाया

ऋणों को ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत ब्याज की कम की गई दर पर कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया था, फिर भी 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान संघ सरकार द्वारा ऋणों की वसूली हेतु बजट अनुमान अविश्वसनीय रूप से कम हुआ था। राज्यों के निश्चिन्त राजकोषीय स्थिति के कारण, हाल के वर्षों में राज्यों से कर्जों की वसूली के साथ-साथ बजट अनुमानों में सुधार हुआ है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए बजट अनुमानों की दो समय से अधिक बार प्राप्ति की गई थी।

बाजार उधारों तथा लोक लेखों में प्रोतभवन से बनी अन्य पूंजीगत प्राप्तियां, जो प्रवृत्ति से ऋण सर्जक हैं, की चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है।

3.7 मुख्य राजस्व संबंधित परिवर्तनियों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल

इस पैरा में, 2009-10 में मुख्य राजस्व परिवर्तनियों (जैसा कि वित्त लेखों से उद्भूत हुए हैं) के वास्तविक निष्पादन में विचलन जो उस वर्ष के बजट में अनुमानित किया गया था, को अभिग्रहण करने के लिए प्रयास किया गया है। 2009-10[2] हेतु बारहवें वित्त आयोग के अनुमानित राजस्व की वास्तविक आकड़ों से वास्तविक डाटा जो बारहवें वित्त आयोग के समय अनुमानित किया गया था, में विचलन का अनुमान प्राप्त करने हेतु तुलना की गई थी।

तालिका 3.11: मुख्य राजस्व मापदण्डों में विचलन -2009-10 में वास्तविक निष्पादन के साथ-साथ बजट अनुमानों (ब.अ.) तथा बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के अनुमानों की तुलना

(₹करोड़ में)

मापदण्ड	वास्तविक	ब.अ.^	ब.अ. के *प्रतिशत* के रूप में वास्तविक का विचलन	बा.वि.आ. अनुमान	बा.वि.आ. के *प्रतिशत* के रूप में वास्तविक का विचलन
(1) सकल कर राजस्व	624528	641079	(-)3	595485	5
(2) करों का राज्य का अंश	164832	164362	1	159070	4
(3) निवल कर राजस्व {(1)-(2)}	459696	476717	(-) 4	434815	6
(4) कर राजस्व					
(क) निगम कर	244725	256725	(-) 5	203509	20
(ख) आयकर	122417	106800	15	104187	17

[2] जैसा कि बारहवें वित्त आयोग (2005-10) के प्रतिवेदन के अनुबंध 5.2 में दिया गया है।

(₹करोड़ में)

मापदण्ड	वास्तविक	ब.अ.^	ब.अ. के *प्रतिशत* के रूप में वास्तविक का विचलन	बा.वि.आ. अनुमान	बा.वि.आ. के *प्रतिशत* के रूप में वास्तविक का विचलन
(ग) सीमा शुल्क	83324	98000	(-) 15	76802	9
(घ) उत्पाद शुल्क	102991	106477	(-) 3	172933	(-) 40
(ङ) सेवा कर	58422	65000	(-)10	36701	59
(5) गैर-कर प्राप्तियाँ					
जिनमें से					
(क) ब्याज प्राप्तियाँ	35849	27099	32		
(ख) लाभ तथा लाभांश	50250	49750	1		
(6) पूंजीगत प्राप्तियाँ	3444141	2246218	53	189883	1714

^ स्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरणी - 2010-11

जब हमने बजट अनुमानों के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना की तो यह पाया गया है कि मुख्य नकारात्मक परिवर्तन सीमा शुल्क (15 प्रतिशत), सेवा कर (10 प्रतिशत) तथा निगम कर (5 प्रतिशत) में था। पूंजीगत प्राप्तियों तथा आयकर प्राप्तियों के मामले में बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 53 तथा 15 प्रतिशत का सकारात्मक परिवर्तन था।

3.8 संभावित प्रत्याशाएं

अर्थव्यवस्था वसूली का संकेत दर्शा रही है तथा कर यौक्तिकीकरण (जैसा कि प्रत्यक्ष कर संहिता तथा माल एवं सेवा कर बिल में विचार किया गया दोनों में से जो भी XIवीं योजना अवधि की समाप्ति से पहले लागू होगा), कर प्रशासन व्ययों में कटौती, अपंवचन पर नियंत्रण आदि के माध्यम से कुल संसाधनों में गैर-ऋण प्राप्तियों के अनुपात को बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि XII वित्त आयोग द्वारा इंगित किया गया है कि राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए राजस्व वृद्धि पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय केन्द्र पर व्यय समायोजन का सहारा लिया जाना चाहिए।